Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

कुम्भाराम पुत्र पिथाराम जाति नायक साकिन रंगमहल तहसील सूरतगढ़

बनाम

तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ व गणेशाराम पुत्र गिरधारी लाल जाति ब्राहमण साकिन रंगमहल तहसील सूरतगढ़ व अन्य

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम प्रकरण सं.– 88/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
11.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 हाजिर। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट जब अपने रकबा में फसल बीजांत हेतु भूमि तैयार कर रहा था रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 कुछ अजनबी व्यक्तियों को लेकर अपीलांट के रकबा की सींव पर आये और बोले हमने रास्ता को आधार मानकर पैमाईश करवाली है इस पैमाईश की आड में हम आपको रकबा से बेदखल कर देंगें। तब अपीलांट को प्रथम बार जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। दिनांक 06.07.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के यह अपील पेश कर दी गई है। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जावे। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा ना तो कोई प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया रोही रंगमहल तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 129 में 3.099 है0 , 239/130 में 0.772 है0, कुल 3.871 है0 भूमि में अपीलांट का 1/12 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के नाम इदस रोही रंगमहल के खसरा न. 130 में 1.758 है0 रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। रेस्पो0 2 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र भूमि की पैमाईश बाबत पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.04.2022 को पैमाईश के आदेश दे दिये गये तथा दिनांक 24.05.2022 को रास्ते को आधार मानकर पैमाईश की गई। पैमाईश के समय खसरे के चिपते काश्तकारों को सूचना देकर मौका पर बुलाया जाना आवश्यक है। मातहत न्यायालय ने पैमाईश के आदेश अपीलांट के बिना सूचना दिये बिना मौका पर बुलाये एक तरफा तौर पर जारी किये है। रकबा बारानी है तथा मौके पर टिल्ले है व रकबा बरसात पर निर्भर है। बरसात का सिजन आने से पहले रकबा खाली ही रहता है। तब काश्तकार अपने पशु मवेशियों व ट्रेक्टर ट्रॉली अपने खेतो तक ले जाने के लिए सुगमता रहे इस दृष्टि से टिल्लों से बाहर समतल भूमि में रास्ता बना लेते है। जो कि कुछ समय के लिए ही होता है। बरसात होने व फसले बीजांत होने पर उक्त रास्ते स्वतः ही बन्द हो जाते है। ऐसे रास्तो को आधार मानकर पैमाईश कतई नहीं की जा सकती। अपीलांट व रेस्पो0 के खसरे अलग–अलग है। अलग–अलग तार बाड व सीवं बनी हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रारम्भतः शून्य होने से खारिज किया जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र कथन किया कि अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि रोही रंगमहल में खाता संख्या 31 नया, 01 पुराना में खसरा न. 130 में 1.758 है0 बारानी भूमि की निशानदेही हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पटवारी [illegible] दिये। पटवारी हल्का ने लोगो की उपस्थिति में हमारी भूमि के द[illegible]स्थित चालू रास्ते को मौजूद लोगो ने सही बताया। उसी रास्ते को आधार [illegible] पट[illegible] सीमाज्ञान करवाया गया। उक्त रास्ता वर्षो से चालू है। अधीनस्थ न्याय[illegible] आदेश सही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश यथावत रखा जावे।	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:28:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बहस पर मनन किया तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में किसी पत्थरगढी या सीमा चिन्हों या किसी अन्य स्थायी चिन्हों को आधार मानकर सीमाज्ञान किया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपस्थित नहीं है, जिससे यह सिद्व होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के रकबा में बने रास्ता को आधार मानकर सीमाज्ञान किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। किसी भूमि का सीमाज्ञान करने से पूर्व उस भूमि के आस पास के काश्तकारों को भी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस/सूचना दिये जाने संबंधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ का जैर अपील आदेश दिनांक 29.04.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:28:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner